अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित
जिन्होंने दस्तावेज स्वीकार/अस्वीकार व
कायमी तनकीयात हेतु समय चाहते से
समय दिया जाता है। अपावली दिनांक
11.12.17 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर

दि. 11.12.17

प्रकारान अधिवक्ता उपस्थित।
आज साहब कानूनी व्यवस्था विषयक में
व्यस्त है
अतः पत्रावली इलतवा होकर दिनांक
16-1-2018 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज.)

दि. 16-1-18

वकील उभय पक्षकारान
उपस्थित विचारण वाद प्रकरण में वादी के
वादपत्र व प्रतिवादीगण के जवाबदावा
के आधार पर न्यायालय द्वारा तनकीयात
कायम कर कलम से तनकीयात कायम
कर कम्प्यूटर टाईप करा अवलोकन
के बाद हस्ताक्षर अभिप्रमाणित किया है।
पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु दि. 21-2-18
को पेश हो।

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज.)

दिनांक 21.2.18 वकील उभय पक्षकार
उपस्थित। श्री भागचन्द मेड़तिया, वकील वादीगण
ने विचारण वाद को आगे नहीं
चलाकर खारिज करवाने हेतु
नोटपेज किया है। अतः विचारण
पश्चात वादीगण द्वारा विपक्षी प्रतिवादीगण
नोटपेज होने से चलने योग्य
नहीं होने तथा खारिज योग्य
होने से प्रारंभिक नोटपेज पर खारिज
किया जाता है। निर्णय सरे इजलास
सुनाया। पत्रावली चैंबर हो।

सहायक कलेक्टर

Notpaper
N